प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/218025/CHN/CHANDAULI/1709/CFO
दिनांक : 11-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SHRI RAMJI SHIKSHAN SANSHAN** पता **ARAZI NO 305 MI 304 MI 302,MAUZA BAIRI PR KERAMANGARAUR,CHANDAULI** तहसील - **CHAKIA** प्लाट एरिया **6094.86 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2826.23** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SHRI RAMJI SHIKSHAN SANSHAN	2	0	7.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SHRI RAMJI SHIKSHAN SANSHAN** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **16-09-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RANJANA SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **19-09-2026** से **18-09-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SHRI RAMJI SHIKSHAN SANSHAN** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SHRI RAMJI SHIKSHAN SANSHAN** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : 1. स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखना होगा। 2. निकास मार्ग सदैव अवरोधमुक्त रखना अनिवार्य है। 3. प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4. उक्त भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के क्रियाशीलता के सम्बन्ध में प्रत्येक 06 माह में स्व प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। 5.शासनादेश संख्याः 18/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 गृह(पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 07 जनवरी, 2022 में अंकित प्राविधानो के अन्तर्गत निर्गत।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 19-09-2026
स्थान : CHANDAULI

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Anand Singh Rajput

F53AFB31B239B13432571E6E5CA0E699F0912896

19-09-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.